

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 238138

पटना, दिनांक:- 15/07/15

ग्रा0वि0-02स्था0-03-5/11

प्रेषक,

OSD(HLC)

महेन्द्र भगत,
सरकार के उप सचिव,


सेवा में,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव-सह-सदस्य सचिव,
उच्चस्तरीय समिति,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

सामान्य प्रशासन विभाग
प्राप्ति

21 JUL 2015

सं० 8669018



विषय:-

संविदा पर नियोजित चालक से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-002 दिनांक-19.05.2015 के प्रसंग में संविदा पर नियोजित चालकों के संबंध में विहित प्रपत्र में सूचना निम्नवत है :-

| क्र० | मांगी गई सूचना | मांगी गई सूचना का विवरण |
|------|--|-----------------------------|
| 1 | प्रत्येक पद जिसपर नियोजन किया गया है, का पदनाम। | चालक |
| 2 | पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या। | कुल कार्यरत कर्मी-03 |
| 3 | किस योजना/परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था या क्या यह योजना केन्द्रीय या राज्य की योजना थी। | लागू नहीं है। |
| 4 | नियोजना का पद किस श्रेणी का है (समूह 'ग' या 'घ')। | समूह 'ग' |
| 5 | क्या यह पद स्वीकृत था ? अगर हाँ तो, स्वीकृत्यादेश/पद सृजन आदेश। | पद स्वीकृत है। |
| 6 | क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरुद्ध हुआ था अथावा नहीं ? | रिक्ति के विरुद्ध है। |
| 7 | नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस इत्यादि की छाया प्रति (प्रत्येक पद के लिए जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय) | विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था। |


97M GAD
Pl. scan properly
Car
22/7

S10-S14
22/7/15

| | | |
|----|--|--|
| 8 | नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया । | संलग्न |
| 9 | पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता । | मैट्रिकुलेशन |
| 10 | क्या नियोजित कर्मी वांछित पदीय अहर्ता रखते थे अथवा नहीं । | हाँ |
| 11 | नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं | हाँ |
| 12 | नियोजन हेतु नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी । | विभागीय सचिव/प्रधान सचिव |
| 13 | उपर्युक्त नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदान थी अथवा नहीं । | हाँ |
| 14 | नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक पद पर प्रत्येक बार की नियोजन प्रक्रिया के लिए) | हाँ |
| 15 | प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि । | छः माह । |
| 16 | प्रत्येक सेवावधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक | कार्य अनुभव एवं कार्य संतोषजनक रहने के आधार पर |
| 17 | प्रत्येक सेवावधि विस्तार आदेश का नमूना । | हाँ छाया प्रति संलग्न |
| 18 | प्रत्येक पदवार मानदेय/पारिश्रमिक/ वेतन/ Consolidated Pay इत्यादि की भुगतये रशि । | 12,600/- |
| 19 | जिस शिर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी । | योजना बजट शीर्ष-"2505" व्यवसायिक सेवाएं एवं विशेष सेवाएं अन्तर्गत |
| 20 | जिस नियमावली/संकल्प/परिपत्र के अंतर्गत इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया हुई है, उसकी छायाप्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ) | सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना, बिहार वाहन चलक(भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली 2005 एवं संशोधन नियमावली 2005 संलग्न |

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त सूचना के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,



(महेन्द्र भगत)

सरकार के उप सचिव

****ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।**